


6/24 12  
उपखण्ड उपाधीकार/पीठासीन अधिकारी का कार्य है।  
काम के अनुसार दिनांक 10-2-25 को पेश है।

10/25  
पत्रावली प्रस्तुत आज बार एरोसिरोपन का कार्य  
किया गया है अतः पत्रावली का अनुसार  
दिनांक 2-6-25 को पेश है।

6/25  
पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी  
सजकार्य में व्यस्त। पत्रावली का अनुसार  
दिनांक 11-8-25 को पेश है।

11/8/25  
पत्रावली प्रस्तुत आज बार एरोसिरोपन का कार्य  
किया गया है अतः पत्रावली का अनुसार  
दिनांक 11-8-25 को पेश है।

प्रकार में राजीनाम ही गार्पेट  
- चपला नहीं चाहता।  
Not press  
Sunday  
20.8.25



सिक्रेटरी (न्याय)

8/25 आज यह पत्रावली वकील वाडी के प्राथमिक पत्र पर तलब की गई। वकील वाडी ने प्राथमिक में अंकित किया है कि पक्षभारान के मुख्य शांके प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने राजीनाम करवा दिया है। वागीण अब प्रकरण को आगे चलाना नहीं चाहते हैं। इसविषय निष्पत्ति प्रकरण को लोक अदालत की भवना से Note press में खारिज प्रमाया जावे अतः मुद्रमा नं. 791/2023 उनवानी गिरधारी बनाम उमरेश राव वावत तमास्मा व. स्यायी निषेधाज्ञा को Note press में खारिज किया जाता है। पत्रावली फौजल शुमार होकर वाड तमनील नम्बर से कम की जाकर वाखिल दफ्तर हो आड़ेवा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी  
हिण्डीन सिटी (कौली)